GOVERNMENT OF JHARKHAND
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

3rd Floor, Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002

Letter No:-..234......./ Ranchi,

Dated ..21/11/2008...

This is to certify that Sri. Santosh Shekhar, Office 21/1 Birsa nagar Hatia Ranchi-834003, provided his services as an architect for organising **Udyog Mela** 2006,2007 and 2008 at Morabadi Maidan Ranchi.

21/11/2008

(B M L Das)
Dy. Director

CERTIFICATE

To whomsoever it may concern,

This is to certify that Mr.SANTOSH SHEKHAR, has been working in our firm from 14th june 2004.

Prof.Ar.K.JAISIM FIIA, FUWA

7th June 2005

JAISIM-FOUNTAINHEAD
ARCHITECTS PLANNERS ENGINEERS ECOLOGISTS
175/1, PAVILLION ROAD, I BLOCK EAST
JAYANAGAR BANGALORE - 560 011
✆ : 2 6 6 3 0 2 3 4

JAISIM - FOUNTAINHEAD
ARCHITECTS PLANNERS ENGINEERS ECOLOGISTS
175/1, PAVILLION ROAD, JAYANAGAR EAST
1st BLOCK, BANGALORE - 560 011
TEL : 080-663 0234, 665 7915
FAX : +91- 080 - 663 1838

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०:- अ0प्र0/भ/विविध-043/2010 80 दिनांकः- 23.8.11

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य में भवनों के निर्माण हेतु निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य के लिए कन्सलटेन्ट पैनेल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

1) यह पैनेल वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए प्रभावी होगा।

2) भवन निर्माण संबंधी सभी कार्य केवल सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनेल में सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों को किसी कार्य के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा सकेगा।

3) सामान्य तौर पर भवन निर्माण कार्य का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य को पैनेल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों में से किसी कन्सलटेन्ट को देने से पहले सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों में से कम से कम किन्हीं छः (6) कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित प्रारंभिक ले-आउट प्लानों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

I)	प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग	-	अध्यक्ष
II)	अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
III)	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
IV)	निगरानी विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य

अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता समिति के सदस्य होंगे।

4) चयन समिति द्वारा जिस प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति दी जायेगी कार्य उसी कन्सलटेन्ट को सौंपा जायेगा। चयन समिति द्वारा किसी भी प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों में अन्य कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा सकती है।

5) कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर ही समर्पित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं हैं उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर (संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त है।

जारी......2

Scanned by CamScanner

6) कन्सलटेन्टों द्वारा समर्पित प्राक्कलन की जाँच भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा कराये जाने के उपरान्त एवं नियमानुसार तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त योजना के प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी।

7) भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या-93, दिनांक-22.07.11 द्वारा कन्सलटेंट पैनल में पूर्व से सूचीबद्ध 21 कन्सलटेंटो के अतिरिक्त निम्नलिखित कन्सलटेंटो को सूचीबद्ध किया जाता है :-

Sl. No.	Name of Architects (Consultants)	Address
1)	The Creators	1st floor, Ashok Nagar, Co-operative Marketing Complex, Ranchi-834002
2)	Aspect New Garden	Siram Toli Club Road, Ranchi-834001
3)	Axis	Opp SidhuKanhu Park off Kanke Road, Ranchi-834001
4)	Designer's Wing	4th floor Sahara Shopping Center Faijabad Road, Lucknow.
5)	SPA Design Consultants Pvt. Ltd.	E-33, Sector-3 Noida, Utter Pradesh Branch Office - Arch Satyadeo Pd. Agrwal Dak Bangla Road, Daltongang Palamau, Jharkhand
6)	Designo Architects	708, J.K.Chambers Sec-17,Vashi, Navi Mumbai-400705
7)	EDMAC Consulting Pvt. Ltd.	G.I.L.G.F. South extension-2, New Delhi-110049
8)	WREATH Construction	Balbir villa Ashok Nagar, Ranchi
9)	SANTOSH SHEKHAR	C/O Jaisim fountain Head Protect Pvt. Ltd., 21/1, Birsa Nagar, P.O.- Hatia, Ranchi-834003
10)	Astro Archineers	5/331, Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P.
11)	MITIMITRA Consultants Pvt.	2 Sampada Apartment, FP No-395 & Bhamburda, off Senapati, Bapat Road, Pune, Pin no-411016
12)	SKY LINE Architectural Consultants Pvt Ltd.	2nd floor, Laxmi Vardan Complex, Patrakar Pura Crossing, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
13)	MODTECH Insfrastructure Pvt. Ltd.	201-T-i omaxe NRI City, Gh-1 Sector Omega-II, Greater Noida - 201310
14)	Architects Ateller Pvt. Ltd.	SCO-8, First Floor, Sector-17, E Chandigarh

जारी.......3

Scanned by CamScanner

8) उपरोक्त सभी आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य कर सकेंगे।

9) कन्सलटेन्टों द्वारा भवन के साथ-साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना होगा। जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन, लिफ्ट, लैण्डस्केपिंग एवं भवन संबंधित अन्य प्रावधान होगा इसका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे।

10) झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से "हैन्डीकैप्ड" व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए भवनों का निरूपण हो।

11) कन्सलटेन्ट्स द्वारा कार्य कराने के लिए "प्रोजेक्ट कॉस्ट" के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दर निम्नवत् है :-

क) एक करोड़ तक की राशि-1.35% (एक दशमलव तीन पाँच प्रतिशत)

ख) एक करोड़ के उपर से पाँच करोड़ तक की राशि-1.25% (एक दशमलव दो पाँच प्रतिशत)

ग) पाँच करोड़ के उपर की राशि - 0.74 (शून्य दशमलव सात चार प्रतिशत)

निर्धारित उपरोक्त दर से सुस्पष्ट है कि किसी योजना/परियोजना की कुल लागत राशि को उपरोक्त श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए पूरे भुगतान की गणना की जायेगी, अर्थात् योजना की एक करोड़ तक की राशि क्रमांक 'क' एक करोड़ से ऊपर पाँच करोड़ तक की राशि क्रमांक 'ख' एवं पाँच करोड़ से ऊपर की राशि का अंश क्रमांक 'ग' के अनुरूप गणना करके भुगतेय होगा।

घ) लिफ्ट कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

ङ) फायर प्रोटेक्शन कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

च) लैण्ड स्केपिंग कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

छ) पाँच करोड़ तक के कार्य के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 1200/- (बारह सौ रूपये) प्रति एकड़ भूमि एवं मृदा परीक्षण हेतु प्रत्येक बोर होल के लिए रू० 20,000/- (बीस हजार)

ज) पाँच करोड़ से ऊपर दस करोड़ तक के कार्यों के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 1200/- (बारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 23,000/- (तेईस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

जारी-:4:-

Scanned by CamScanner

झ) दस करोड़ से ऊपर के कार्यों के लिए साईट सर्वे हेतु रू० 1100/- (ग्यारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

12) साईट सर्वे एवं मृदा परीक्षण कर निरूपण कार्य किये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कन्सलटेन्ट/आर्किटेक्ट की होगी।

13) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(सहदेव नारायण सिंह) 23/8/11
सरकार के उपसचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक:- 2633(अ) दिनांक :- 23.8.11

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/11
सरकार के उपसचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:- 2633(अ) दिनांक :- 23.8.11

प्रतिलिपि :- संबंधित सभी परामर्शी को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/11
सरकार के उपसचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

O/C

Scanned by CamScanner

ख) पाँच करोड़ से ऊपर दस करोड़ तक के कार्यों के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/- (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,000/- (बाईस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

ग) दस करोड़ से ऊपर के कार्यों के लिए साईट सर्वे हेतु रू० 1800/- (अठारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,500/- (बाईस हजार पाँच सौ रूपये) प्रति बोर होल।

v) कन्सलटेन्सी फीस का भुगतान- ड्राइंग/ डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को समर्पित करने के समय ही कन्सलटेन्सी फीस का ब्यौरा अलग से विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त समर्पित फीस/ बिल के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान की कार्रवाई संबंधित प्रमंडल से की जायगी।

vi) नया पैनल तैयार होने के उपरान्त यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

19/5/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 1108(भ) दिनांक :- 19.5.14

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/ सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 1108(भ) दिनांक :- 19.5.14

प्रतिलिपि :- सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/ परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०:- भ०नि०/विविध-1-28/01- 119 दिनांकः- 17.10.14.

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण हेतु निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य के लिए कन्सलटेन्ट पैनेल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

1) यह पैनेल वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए प्रभावी होगा।

2) भवन निर्माण संबंधी सभी कार्य केवल सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनेल में सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों को किसी कार्य विशेष के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा सकेगा।

3) सामान्य तौर पर भवन निर्माण कार्य का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य को पैनेल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों/ख्याति प्राप्त वास्तुविद्/कन्सलटेन्ट में से किन्हीं छः (6) कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित प्रारंभिक ले-आउट प्लानों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

I)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	-	अध्यक्ष
II)	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
III)	अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
IV)	मुख्य/सहायक वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य

अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता समिति के अध्यक्ष होंगे।

4) चयन समिति द्वारा जिस प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति दी जायेगी, कार्य उसी कन्सलटेन्ट को सौंपा जायेगा। चयन समिति द्वारा किसी भी प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में सूचीबद्ध/ख्याति प्राप्त कन्सलटेन्टों में से अन्य कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा सकती है।

5) कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर ही समर्पित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं हैं उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर (संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा।

जारी.......2

Scanned by CamScanner

6) कन्सलटेन्ट द्वारा समर्पित प्राक्कलन की जाँच भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी से कराये जाने के उपरान्त एवं नियमानुसार तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त योजना के प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी।

7) भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के कन्सलटेन्ट पैनेल में निम्नलिखित कन्सलटेन्टों को सूचीबद्ध किया जाता है :-

Sl. No	Name of Architects (Consultants)	Address
1	Suresh Goel &Associates,	S-83, Panchshila Park, New Delhi-17 Tel (O)- 26014466, 26016341
2	Shiva Consultancy Services Pvt. Ltd.,	A-87, L.G.F. Malviya Nagar, Main Shivalik Road, New Delhi- 110017 Tel- (011) (41830217/18)
3	Mass N Void Design Consultants,	G-1/4, Basement Malviya Nagar, New Delhi-110017 (M)- 08130996781, 9905624919 Tel (O)- 011-26674800/ 801/ 802
4	M/S Structural Symphony,	65, Sukanta Sarani, Kolkata- 85 Tel- 033-64500416 9231659601, 9830845175
5	Design Plus, Ranchi,	Opp. Shri Ram Mandir, Near Premsons Motors, Kanke Road, Ranchi-08 9431187917, 9162410068
6	Sujeet & Associates, Ranchi,	Ganpati Complex, Opposite Siddhu Kanhu Park, Ranchi College, Ranchi- 834008, Jharkhand (9430118437) (9835337258)
7	Designer's Wing,	426 B, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Lucknow. 0522-2311742, 4009712
8	M/S Space Ace,	V-20A/05, D.L.F. Phase-III, Gurgaon, Haryana-122002MO- 09312650035. Tel- 0124- 4106618
9	Design Oriented Techniques,	303, Urmila Apartments, Near St. Annes's School, Tharpakhna, Ranchi. Ph- 9471550077, 9934114276
10	Indraneel Consultants (P) Limited.,	403, Lake Garden, Kanke Road, Near Gandhi Nagar, Ranchi- 834008, Jharkhand. Mob-9931123440
11	The Creators,	50, 1st Floor, Ashok Nagar, Co-Operative Market Complex, Ashok Nagar, Ranchi. Mob. - 9234679246, 9031000790
12	AXIS,	101, First Floor, Prabha Kiran Apartment, Chuna Bhatta, Hazaribagh Road, Kokar, Ranchi-834001 Office- 0651-2544645 Mb. - 9431101157
13	Santosh Shekhar,	C/O- Jaisim Fountain, Head Project Pvt. Ltd. 21/1, Birsa Nagar, P.O- Hatia, Ranchi- 834003 Tel- 0651-2853191

Scanned by CamScanner

14	Chhaya Architect & Consultants,	Basement & Third Floor, Taj Building, Aambagan Sakchi, JamshedpurMobile- 9204013674. 09234604901
15	Gourav Home Point,	22/C, 1st Floor, New Market, Ratu Road, Ranchi Mobile- 9955977771, 9835320221
16	Chadda & Associates,	Hindustan Bhawan, Main Road, Ranchi-834001 Tel- 06512330362
17	GOSCONSERVICE,	59, Biplabi Anukul Chandra Street. 3rd Floor, Kolkata-70092 Mob-09331034942 . Tel- 033-24737380
18	Achievers Engicon Pvt. Ltd,	104, Divyam Block, Sai Vihar Apart. Ashok Ashram Enclave, Ranchi- 834002, Mob-94315590618
19	Archita Designers,	First Floor, Manju Complex, Opposite Speaker House, Kanke Road, Ranchi Mob- 9835719197, 9431091025
20	Architect Groups,	Morabadi, Harihar Singh Road, Ranchi, Jharkhand
21	Grids Consultants,	2nd Floor, Roshpa Tower, Main Road, Ranchi-1 Mob- 9835156276
22	EDMAC Engineering Consultant,	G-1, L.G.F., South Extension-II, New Delhi, 110049. Tel.- 011-46078600
23	Architech,	Bariatu-Harihar Singh Road, Adjoining Hanuman Mandir, Ranchi. Mob- 9234680870. 8987093073
24	Aspect New Garden,	Siram Toli, Club Road, Ranchi- 834001. Mob- 9955304102
25	Ketki Consultancy Engineering Services	Civil Engineering Consultancy, KaramToli Chowk. Opp. KaramToli Talab, Ranchi- 834008, Jharkhand, Mobile No.- 9234657476, 9234657477

8) उपरोक्त सभी आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों का वास्तुविद एवं निरूपण कर सकेंगे।

9) कन्सलटेन्ट के लिए भवन के साथ-साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना अनिवार्य होगा। जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन, लिफ्ट, लैण्डस्केपिंग एवं भवन संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, उनका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे।

10) झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से "हैन्डीकैप्ड" व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए भवनों का निरूपण हो।

11) कन्सलटेन्ट्स द्वारा कार्य कराने के लिए 'प्रोजेक्ट कॉस्ट" के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दर निम्नवत् है :-

जारी.....4

Scanned by CamScanner

i) क) एक करोड़ तक की राशि-1.35% (एक दशमलव तीन पाँच प्रतिशत)

ख) एक करोड़ के उपर से पाँच करोड़ तक की राशि-1.25% (एक दशमलव दो पाँच प्रतिशत)

ग) पाँच करोड़ के उपर की राशि - 0.74 (शून्य दशमलव सात चार प्रतिशत)

निर्धारित उपरोक्त दर से सुस्पष्ट है कि किसी योजना/परियोजना की कुल लागत राशि को उपरोक्त श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए पूरे भुगतान की गणना की जायेगी, अर्थात् योजना की एक करोड़ तक की राशि क्रमांक 'क' एक करोड़ से ऊपर पाँच करोड़ तक की राशि क्रमांक 'ख' एवं पाँच करोड़ से ऊपर की राशि का अंश क्रमांक 'ग' के अनुरूप गणना करके भुगतेय होगा।

घ) लिफ्ट कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

ङ) फायर प्रोटेक्शन कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

च) लैण्ड स्केपिंग कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

ii) पुनरावृत्ति कार्य के लिए कन्सलटेंट/वास्तुविद् को भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मूल दर का 50 प्रतिशत दर निर्धारित किया जाता है।

iii) ड्राईंग/डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए (पैकेज के) दर का Break up का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क) आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राईंग- प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ख) स्ट्रक्चरल डिजाईन एण्ड ड्राईंग (जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, विद्युत कार्य, फायर फाईटिंग इत्यादि) - प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ग) डी०पी०आर०/प्राक्कलन तैयार करना - प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

iv) साईट सर्वे एवं मृदा परीक्षण का दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क) पाँच करोड़ तक के कार्य के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/- (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ भूमि एवं मृदा परीक्षण हेतु प्रत्येक बोर होल के लिए रू० 20,000/- (बीस हजार)।

ख) पाँच करोड़ से ऊपर दस करोड़ तक के कार्यों के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/- (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,000/- (बाईस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

ग) दस करोड़ से ऊपर के कार्यों के लिए साईट सर्वे हेतु रू० 1800/- (अठारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,500/- (बाईस हजार पाँच सौ रूपये) प्रति बोर होल।

जारी.....5

Scanned by CamScanner

v) कन्सलटेन्सी फीस का भुगतान- ड्राईग/ डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को समर्पित करने के समय ही कन्सलटेन्सी फीस का ब्यौरा अलग से विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त समर्पित फीस/ बिल के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान की कार्रवाई संबंधित प्रमंडल से की जायगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/- 17/10/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 2509 (अ) दिनांक :- 17.10.14

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/ सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 17/10/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 2509 (अ) दिनांक :- 17.10.14

प्रतिलिपि :- सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/ परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 17/10/14
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०:- भ०नि०यो०-1-28/01- 49 दिनांक:- 12-4-17

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण हेतु निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य के लिए वास्तुविद्/परामर्शी पैनेल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

1) यह पैनेल वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए प्रभावी होगा।

2) भवन निर्माण संबंधी सभी कार्य केवल सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनेल में सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों को किसी कार्य विशेष के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा सकेगा।

3) सामान्य तौर पर भवन निर्माण कार्य का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य को पैनेल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों/ख्याति प्राप्त वास्तुविद्/परामर्शी में से किन्हीं छः (6) वास्तुविद्/परामर्शी से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित प्रारंभिक ले-आउट प्लानों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

I)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	-	अध्यक्ष
II)	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
III)	अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
IV)	मुख्य/सहायक सरकारी वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य

अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता समिति के अध्यक्ष होंगे।

4) चयन समिति द्वारा जिस प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति दी जायेगी, कार्य उसी वास्तुविद्/परामर्शी को सौंपा जायेगा। चयन समिति द्वारा किसी भी प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में सूचीबद्ध/ख्याति प्राप्त वास्तुविद्/परामर्शी में से अन्य वास्तुविद्/परामर्शी से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा सकती है।

5) वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर हीं समर्पित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं हैं उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर (संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा।

G:\Karyalaya Aadesh.doc

Scanned by CamScanner

6) वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा समर्पित आर्किटेक्चरल नक्शों के साथ एक शपथ पत्र देना होगा कि सभी नक्शों को Jharkhand Building Bylaws एवं National Building Code of India के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

7) वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा समर्पित आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल नक्शों तथा प्राक्कलन में Fly Ash का प्रावधान किया जाय।

8) वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा समर्पित प्राक्कलन की जाँच भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी से कराये जाने के उपरान्त एवं नियमानुसार तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त योजना के प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी।

9) भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के वास्तुविद्/परामर्शी पैनेल में निम्नलिखित वास्तुविद्/परामर्शी को सूचीबद्ध किया जाता है :-

क्रमांक	वास्तुविद्/परामर्शी का नाम
1	AADIKARA ARCHITECTS Akash Deep, C/o - Shrikant Roy, Madhu Niwas, Sundar Vihar, Kokar (Tiril), Ranchi Telephone No – 9430114222.Email-Id : aadikaraarchitects@gmail.com
2	ARCHITA DESIGNERS First Floor, Manju Complex, Opposite Speaker House, Kanke Road, Ranchi Mob- 9835719197, 9431091025.Email-id : architadesigners0408@rediffmail.com
3	ARCHTECH CONSULTANTS PRIVATE LTD. 11,Consultants private Limited,Shakespeare sarani,Kolkata-700071 telephone.No -033-22827263/7255.Email-Id : admin@archtechconsultants.com
4	ARCHITECH Bariatu-Harihar Singh Road, Adjoining Hanuman Mandir, Ranchi Mob- 9234680870, 8987093073
5	ARCHITECT SANDEEP NEENA AND ASSOCIATES S.No. 1,2 & 3, Netaji Subhash Stadium, Motibag, Raipur (C.G.) -492001 Telephone no - 0771-4207900, 4207966 Email Id - architechtsand@gmail.com
6	ARCH-EN DESIGN B1/37 , Hauz Khas , New Delhi , India Telephone (011) 45188222, (0522) 4088222.Email Id- aeddelhi@gmail.com
7	ASPECT NEW GARDEN Siram Toli, Club Road, Ranchi- 834001. Mob- 9955304102
8	AXIS 101, First Floor,Prabha Kiran Apartment, Chuna Bhatta, Hazaribagh Road, Kokar, Ranchi-834001 Office- 0651-2544645 Mb. – 9431101157.Email id : axisranchigmail.com
9	BENJAMIN BENJAMIN AND VATS E-332, 2nd Floor, Nirman Vihar, Delhi - 110092 Telephone – 09810088354.Email: bbvats@gmail.com
10	CHHAYA ARCHITECT & CONSULTANTS Basement & Third Floor, Taj Building, Aambagan, Sakchi, Jamshedpur Telephone No - 9204013674, 09234604901.Email id : chhayaarchitectandconsultants@yahoo.co.in

Scanned by CamScanner

11	CHADDA & ASSOCIATES Hindustan Bhawan, Main Road, Ranchi-834001Telephone No - 06512330362Email Id : chaddaandassociates@gmail.com
12	CHOUDHARY KUMAR CONSULTANT PVT. LTD Pandai Place,BoringRoad,Patna Telephone.no.-0612-2535894,9431012776 Email-Id : ckcpl1@gmail.com
13	DDF CONSULTANTS Pvt. Ltd. 501, B-9, ITL Twin Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 Telephone No : 47400500
14	DESIGN PLUS Opp. Shri Ram Mandir, Near Premsons Motors, Kanke Road, Ranchi-08 Telephone No -9431187917, 9162410068.Email id : designplus2000@gmail.com
15	DESIGN CREATION off.no.-4B,4th Floor,opp. Adivasi Hostel ,Bhaskar Anirudh Complex ,jail More ,Karam toli Road , Ranchi-834001 ph.no- 9693388298.email-designcreation2000@gmail.com
16	DESIGN ORIENTED TECHNIQUES 303, Urmila Apartments, Near St. Annes's School, Tharpakhna, Ranchi. Telephone no - 9471550077, 9934114276.Email id : dotconsultant@gmail.com
17	DIMTS, Ist floor,Maharana PratapISBT Building,kashmere Gate,Delhi-110006ph.no-011-43090100 email-manoj.banerjee@dimts.in
18	EDMAC ENGINEERING CONSULTANT G-1, L.G.F., South Extension-II, New Delhi, 110049. Tel.- 011-46078600 Email id : infodel@edmacconsulting.com
19	ENARCH CONSULTANTS Pvt. Ltd. B-66, Sector-63, Noida - 201301(U.P.) Telephone : 0120-4318964, 4202182.Email : enarchindia@rediffmail.com
20	GOURAV HOME POINT 22/C, 1st Floor, New Market, Ratu Road, Ranchi Mobile- 9955977771, 9835320221 Email Id : ghpoint0651@gmail.com
21	GRIDS CONSULTANTS 2nd Floor, Roshpa Tower, Main Road, Ranchi-1 Mob- 9835156276 Email Id : grids_con@yahoo.com
22	HUDCO Maple Plaza,6th floor,opp Ashoknagar,Gate no.2,Argora,Ranchi-834002ph.no-0651-2240523,2241526Email-Id : ranchi@hudco.org
23	IMAGINATION INFRATECH PVT LTD Netaji Subhas Place,Pitampura,New Delhi-110034
24	INDRANEEL CONSULTANTS (P) LIMITED 403, Lake Garden, Kanke Road, Near Gandhi Nagar, Ranchi- 834008, Jharkhand. Mob – 9931123440.E-mail : indraneelconsultants@gmail.com
25	KOTHARI ASSOCIATES PVT. LTD. G-65, Connaught Circus, New Delhi -110001 Telephone No - 23325040, 23324628 Email Id - kavita.kapl@gmail.com
26	MASS N VOID DESIGN CONSULTANTSG-1/4, Basement Malviya Nagar. New Delhi-110017(M)- 08130996787, 9905624919 Tel (O)- 011-26674800/ 801/ 802 Email-id : info@massnvoid.com
27	MEMAAR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED G-17,1st,2nd,Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj Road, New Delhi-110025 Telephone no - 011-29945849, 9891312637, 9910582237.Email-Id : memaarassociates@gmail.com

Scanned by CamScanner

28	**RANCHI DESIGN & CONSULTANCY SERVICES Pvt. Ltd.** Manda Bagicha, Harihar Singh Road, Morabadi Ranchi - 834002 Telephone no : 0651-2412836, 9431357124.Email : rdcsindia1@gmail.com
29	**M/S RATH ARCHITECTONIC** Plot No - 104, Madhusudan Nagar, Unit -IV, Bhubhaneswar-751001 Telephone No- 9439491132, 0674-2390940.E-mail : www.ratharchitectonic@rediffmail.com
30	**RENAISSANCE** 611-B,E-Block,Greater Kailash-11,New Delhi-110048Telephone No-011-41624488Email-Id : renaissance.arch@gmail.com
31	**ROUNAK CONSTRUCTION AND CONSULTANCY** 197,IAS Colony Kidwaripuri Ptanam - 800001 Telephone No- 0612-2522278.Email - rounak.consultancy@hotmail.com
32	**ROYALBUILT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED** Janani, 74/12, Motilal Gupta Road, Kolkata-700008 Telephone no – 09831032447.E-Mail : royalbuiltinfra@gmail.com
33	**SANTOSH SHEKHAR** 21/1, Birsa Nagar, Mandir Marg , P.O- Hatia, Ranchi- 834003 Jharkhand Tel- 0651-2853191, 9334719264.Email-id: art.shekhar@gmail.com
34	**SHIVA CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.** A-87, L.G.F. Malviya Nagar, Main Shivalik Road, New Delhi- 110017 Tel- (011) (41830217/18) Enail-id : contact@sisplindia.com
35	**SOURABH RAJ** Shop no-106, First Floor B.B. Complex, Near CMPDI, Kanke Road, Ranchi Telephone no -8867386333
36	**M/S SPACE ACE** V-20A/05, D.L.F. Phase-III, Gurgaon, Haryana- 122002MO- 09312650035 Tel- 0124-4106618Email-id : spaceace.india@gmail.com
37	**M/S STRUCTURAL SYMPHONY** 65, Sukanta Sarani, Kolkata- 85 Tel- 033-64500416 , 9231659601, 9830845175.Email-id: structuralsymphony@gmail.com
38	**SURESH GOEL & ASSOCIATES** S-83, Panchshila Park, New Delhi-17 Tel (O)- 26014466, 26016341.Email id : general@sgadesignlab.com
39	**SUJEET & ASSOCIATES** Ganpati Complex, Opposite Siddhu Kanhu Park, Ranchi College, Ranchi- 834008, Jharkhand Telephone no - 9430118437, 9835337258.Email id : sbhagat77@rediffmail.com
40	**M/S SWASTIKA ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS** Sushant Golf City, Sector-D, Shopping Square-2-Age-110 Telephone no – 09793453511.Email id : swastikaarchitect@gmail.com
41	**THE CREATORS** 331B, 1St Floor, Road No - 04, Ashok Nagar, Ranchi.-834002Telephone no - 9234679246, 9031000790Email id : arunranchi@gmail.com
42	**TJ DESIGN STUDIO** Gauri Shankar Nagar ,near St.Anthony School,River Park(West),near Hanuman Mandir ,opp-Guru Charan Tower,North Office Para,Doranada,Ranchi-834002 Telephone No-7250898915,8797540945.tjds.india@gmail.com

10) उपरोक्त सभी वास्तुविद्/परामर्शी सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों का वास्तुविद् एवं निरूपण कर सकेंगे।

11) वास्तुविद्/परामर्शी के लिए भवन के साथ–साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना अनिवार्य होगा। जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन, लिफ्ट, लैण्डस्कोपिंग एवं भवन संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, उनका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे।

Scanned by CamScanner

12) झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से "हैन्डीकैप्ड" व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए भवनों का निरूपण हो।

13) वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा कार्य कराने के लिए "प्रोजेक्ट कॉस्ट" के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दर निम्नवत् है :-

i) क) एक करोड़ तक की राशि-1.35% (एक दशमलव तीन पाँच प्रतिशत)

ख) एक करोड़ के उपर से पाँच करोड़ तक की राशि-1.25% (एक दशमलव दो पाँच प्रतिशत)

ग) पाँच करोड़ के उपर की राशि - 0.74 (शून्य दशमलव सात चार प्रतिशत)

निर्धारित उपरोक्त दर से सुस्पष्ट है कि किसी योजना/परियोजना की कुल लागत राशि को उपरोक्त श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए पूरे भुगतान की गणना की जायेगी, अर्थात् योजना की एक करोड़ तक की राशि क्रमांक 'क' एक करोड़ से ऊपर पाँच करोड़ तक की राशि क्रमांक 'ख' एवं पाँच करोड़ से ऊपर की राशि का अंश क्रमांक 'ग' के अनुरूप गणना करके भुगतेय होगा।

घ) लिफ्ट कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

ङ) फायर प्रोटेक्शन कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

च) लैण्ड स्केपिंग कार्य - 1.00% (एक प्रतिशत)

ii) पुनरावृत्ति कार्य के लिए वास्तुविद्/परामर्शी को भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मूल दर का 50 प्रतिशत दर निर्धारित किया जाता है।

iii) ड्राइंग/डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए (पैकेज के) दर का Break up का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क). आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग- प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ख) स्ट्रक्चरल डिजाईन एण्ड ड्राइंग (जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, विद्युत कार्य, फायर फाईटिंग इत्यादि) - प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ग) डी०पी०आर०/प्राक्कलन तैयार करना - प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

iv) साईट सर्वे एवं मृदा परीक्षण का दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क) पाँच करोड़ तक के कार्य के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/- (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ भूमि एवं मृदा परीक्षण हेतु प्रत्येक बोर होल के लिए रू० 20,000/- (बीस हजार)।

ख) पाँच करोड़ से ऊपर दस करोड़ तक के कार्यों के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/- (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,000/- (बाईस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

Scanned by CamScanner

ग) दस करोड़ से ऊपर के कार्यों के लिए साईट सर्वे हेतु रू० 1800/- (अठारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,500/- (बाईस हजार पाँच सौ रूपये) प्रति बोर होल।

v) कन्सलटेन्सी फीस का भुगतान- ड्राइंग/ डिजाइन/डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को समर्पित करने के समय ही कन्सलटेन्सी फीस का ब्यौरा अलग से विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त समर्पित फीस/ बिल के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान की कार्रवाई संबंधित प्रमंडल से की जायगी।

14) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-442(भ) दिनांक-08.02.17 के द्वारा अधिसूचित नियम (ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित) वर्त्तमान एवं पूर्व में सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी पर लागू होंगे।

15) विभागीय कार्यालय आदेश- 85, सहपठित ज्ञापांक- 1465 (भ), दिनांक- 11.05.16 के द्वारा सूचीबद्ध पैनल वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रभावी रहेगा।

16) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 101 (भ) दिनांक :- 12-5-17

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल, भवन निर्माण विभाग/सहायक सरकारी वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 101 (भ) दिनांक :- 12-5-17

प्रतिलिपि :- सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/ परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

G:\Karyalaya Aadesh.doc

Scanned by CamScanner